

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 581/2016

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री लादू राम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी नयाबास ,
अलवर जिला अलवर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कलेक्टर (स्टाम्प), अलवर ।
2. उप-रजिस्ट्रार (प्रथम) अलवर

-----प्रतिवादी

-

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री बनवारी शर्मा एवं श्री एन.एन.
शर्मा

प्रतिवादी के लिए : श्री संदीप तनेजा , ए.ए.जी.

-

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

29/04/2024

अवनीश झिंगन , जे (मौखिक):-

1. यह याचिका कलेक्टर (स्टाम्प), अलवर (संक्षेप में 'कलेक्टर') द्वारा पारित दिनांक 06.02.2015 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने श्री शिवलाल के साथ मिलकर बाबू के साथ दिनांक 10.08.2012 को बिक्री हेतु एक समझौता किया था। लाल के साथ गाँव भाखेडा , तहसील अलवर में खसरा संख्या 52 में स्थित भूमि की खरीद हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया । उप-पंजीयक, अलवर ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 54 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क की चोरी के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। इसके बाद 29.08.2014 को अधिनियम की धारा 37 और 55 के अंतर्गत एक संदर्भ प्रस्तुत किया गया। संदर्भ में नोटिस 03.11.2014 के लिए जारी किया गया। बाद की तिथियों पर, नोटिस जारी किए गए और याचिकाकर्ता को तामील किए गए। अंतिम नोटिस दिनांक 02.01.2015 को 06.02.2015 के लिए जारी किया गया, याचिकाकर्ता पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई और कलेक्टर ने स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली के आदेश दिए।

3. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 65 के तहत पुनरीक्षण का उपाय है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत उत्तर अभिलेख में उपलब्ध है, फिर भी उस पर विचार नहीं किया गया। आगे तर्क दिया गया कि विचाराधीन भूमि बाद में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत कर दी गई।
5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस उत्तर पर कि अनुबंध रद्द कर दिया गया था, कलेक्टर ने विचार नहीं किया। रिट याचिका में यह तर्क दिया गया है कि 06.02.2015 के नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रसीद नहीं दी गई और उत्तर अभिलेख में उपलब्ध है। प्रस्तुत उत्तर में, प्रतिवादियों ने इन कथनों का स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया है।
6. यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि कलेक्टर ने 06.02.2015 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की तथा उसी दिन जवाब पर विचार किए बिना ही एक असंबद्ध आदेश पारित कर संदर्भ पर निर्णय दे दिया।

7. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, दिनांक 06.02.2015 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है और मामला

8. आगे की जटिलताओं और देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से 15.05.2024 को सुबह 11:00 बजे कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित रहने दें।

9. याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(भुवन गोयल) ,जे

(अवनीश झिंगन) ,जे

सिंपल कुमावत/26 क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी